

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2013

अगस्त-2013

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)05/13	श्री विशेश्वर दयाल, सेवानिवृत्त शिक्षक, पिहरा, गिरिडीह को प्रोन्नति का लाभ के संबंध में शिकायत ।	05.08.2013	परिवादी द्वारा पूर्व में ही परिवाद सं. 02/लोक(शिक्षा) 24/11 दाखिल किया गया था सि पर माननीय लोकायुक्त द्वारा उचित आदेश पारित कर संचिका पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया । परिवादी द्वारा पुनः परिवाद दाखिल किया गया जो पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खरिज कर दिया गया ।

खाद्य आपूर्ति विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(खा.आ.)02/12	वित्तीय वर्ष 2007-08 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा द्वारा आपूर्ति विभाग में नियम कानून का धज्जी उड़ाते हुए व्यक्तिगत लाभ के निमित्त कार्य करने के संबंध में श्री संजय प्रसाद यादव सदस्य झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त शिकायत ।	07.08.2013	परिवादी के वकील के द्वारा परिवाद के वापसी के याचिका को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(खा.आ.)07/12	जन वितरण प्रणाली के दुकानदार एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री जितेन्द्र महतो, धनबाद का परिवाद ।	26.08.2013	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कार्मिक)02/06	श्री पिताम्बर काण्डेयाग सेवानिवृत्त झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के सेवान्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत ।	08.08.2013	प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सेवानिवृत्त देय पावनाओं में से फुल पेंशन तथा ग्रच्यूटि की स्वीकृति प्रदान बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है तथा केस सं. 19/1994 में इनके विरुद्ध जांच चल रही है इस लिए अव्यवहृत अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान नहीं किया गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)02/2013	अंचल अधिकारी सदर राँची द्वारा वाद निष्पादन में टाल मटोल कर विलंब करने के संबंध में श्री रितेश कच्छप, कोकर राँची का परिवाद ।	30.08.2013	उपायुक्त राँची के कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के वाद का निष्पादन कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(मत्स्य)02/12	श्री विजय कुमार सिंह जिला मत्स्य पदाधिकारी चतरा द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने एवं प्रताड़ित करने के संबंध में श्रीमती दुर्गावती देवी का शिकायत ।	08.08.2013	परिवादीनी द्वारा परिवाद को वापस लेने की याचना को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए परिवाद को बंद कर दिया गया ।

वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन)07/12	मिथिलेश्वर मिस्त्री, सेवानिवृत्त वनपाल, कोडरमा वन प्रमंडल का छठा वेतन, ए.सी.पी. का लाभ न मिलने एवं कम पेंशन प्राप्त होने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	08.08.2013	प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के बकाया 36,740/- रू० का भुगतान कर दिया गया तथा सेवा पुस्त महालेखाकार को छठा पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन संधारण हेतु भेज दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)01/2011	कन्हार रजवार, सेवानिवृत्त आदेशपाल ग्रा+पो. मनियाडीह, थाना- टुन्डी जिला-धनबाद के पेंशन निर्धारण के संबंध में प्राप्त परिवाद ।	20.08.2013	संबंधित विभाग द्वारा परिवादी के सीभी देय पावनाओं का भुगतान कर परिवाद का निराकरण कर दिया गया के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(वन)19/2012	दिलवर टोपनो, सेवानिवृत्त वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईबासा का देय लंबित पावनाओं के भुगतान के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	02.08.2013	प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवाद का निरकरण माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के कारण हो पाया । इस हेतु परिवादी द्वारा माननीय लोकायुक्त का अभार प्रगट किया गया है ।

वित्त विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वित्त)01/11	श्री अखौरी कृष्णारंजन प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्त सहायक, जिला कोषगार, बोकरो से प्राप्त शिकायत के संबंध में ।	19.08.2013	कोषागार पदाधिकारी राँची से प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(वित्त)02/13	एम.ए.सी.पी. व अन्य सेवान्त लाभ के संबंध में श्री कपिल पंडित हजारीबाग का परिवाद ।	02.08.2013	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग तथा परिवादी से प्राप्त प्रतिवेदनों के अलोक में परिवादी के सभी प्रकार के देय पावनाओं का भुगतान होजाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस)12/2012	अंचलाधिकारी पंडवा एवं थाना प्रभारी द्वारा पुलिस कर्मी एवं अन्य व्यक्तियों के सहयोग से परिवादी श्री सुमंत कुमार मिश्रा, पण्डवा, पलामू के घर बागान में तोड़ फोड़ कर तहस नहस करने के संबंध में शिकायत ।	16.08.2013	उपायुक्त पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंचलाधिकारी पंडवा द्वारा अतिक्रमण केस सं० 4/2011-12 में पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है तथा परिवादी के द्वारा व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट दायर किया गया है जो लंबित है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)27/12	ब्रज किशोर गोप को सेवानिवृत्त के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवान्त लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत ।	16.08.2013	विशेष सचिव गृह विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पेंशन सहित अन्य लाभों की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रधिकार पत्र महालेखाकार को प्रेषित कर दिया गया है के आलोक में परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)27/06	श्री दिलीप कुमार सिंह, आरक्षी सं. 1495 राँची जिला बल के विरुद्ध श्री अनुरंजन अशोक का परिवाद ।	06.08.2013	पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय कार्रवाई के पश्चात उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही पाया गया तथा आदेश की अहवेलना एवं अमर्यादित आचरण के कारण उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(कृषि)02/2012	डॉ० S.G. अब्बास द्वारा फर्जी रिसर्च पेपर जमा कर BAU में युनिवर्सिटी प्रोफेसर सह मुख्य वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के संबंध में श्री के० एन० पंडित अध्यक्ष AITUC , रातु रोड, राँची से प्राप्त शिकायत ।	26.08.2013	शिकायकर्ता के द्वारा पूर्व में महामहिम राज्यपाल जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं को इसी वाद से संबंधित याचना पत्र दिया गया है जो वहां लंबित है । अतः एक ही वाद दो अलग अलग न्यायालयों में नहीं चल सकता । उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सह0)04/12	श्री राजेश्वर प्रसाद सेवानिवृत्त सांख्यिकी सहायक के सुनिश्चित वृत्ति योजना अन्तर्गत दिये गये प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का बकाये राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	06.08.2013	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को उनके प्रथम एवं द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का बकाये राशि का भुगतान कर दिया गया है के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(सह0)03/2011	श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र सेवानिवृत्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक निबंधक सहयोग समिति गुमला को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ नहीं प्राप्त होने के संबंध में ।	08.08.2013	सचिव, सहकारिता समिति झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के बकाया भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

श्रम नियोजन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(श्र.नि.)02/12	श्रीमती मीरा घोष सेवानिवृत्त महिलादक्ष कारीगर जामताड़ा का पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को नहीं भेजने के संबंध में परिवाद ।	02.08.2013	सहायक श्रमायुक्त धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण हो जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

सामाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स.क.)06/12	उपनिदेशक समाज कल्याण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग द्वारा पर्यवेक्षिका पद पर नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में श्री धनेश्वर प्रसाद मेहता, हजारीबाग का परिवाद ।	30.08.2013	सचिव, सामाज कल्याण झारखण्ड राँची से प्राप्त कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व में पर्यवेक्षिका चयन हेतु लिए गए दानों परीक्षाओं को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजन हेतु आदेश दिया गया है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(सा.क.)02/13	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिल्ली व	12.08.2013	विस्तृत सुनवाई तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी

		आगंनबाड़ी सेविका बाडेटोला, बन्ता द्वारा फर्जी रशीद द्वारा सरकारी राशि का निरकासी करने के संबंध में श्री नित्यानन्द बड़ाईक बन्ता, सिल्ली राँची का परिवाद ।		के प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया आरोप द्वेष भावना से ग्रसित है तथा असत्य है के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को खारिज करते हुए अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
--	--	---	--	--

ग्रामिण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(ग्रा.वि.)11/11	मधुपुर प्रखण्ड के पूर्व नाजीर श्री संजय दास एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उन्नयन इन्दिरा आवास 2008-09 में प्राक्कलित राशि 7,50,000 रु. का गबन करने के संबंध में श्री संतोष दास देवघर का शिकायत ।	26.08.2013	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा सी.आई.डी. से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार इन्दिरा आवास के आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। उक्त दोनो रिपोर्टों के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.)30/12	पंचायत सेवक श्री विशेश्वर राउत द्वारा जबरन सरकारी तालाब एवं पंचायत भवन निर्माण करने के संबंध में श्री नारायण मंडल देवघर का परिवाद ।	30.08.2013	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार मापी के पश्चात पंचायत भवन के आवंटित भूमि थोड़ा विचलित कर रहा था परन्तु इससे कृषि कार्य पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त रिपोर्ट के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

विविध विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)18/2012	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठा वेतनमान का बकाया राशि का भुगतान के संबंध में श्री रामचंद्र प्रसाद, पलामू का शिकायत ।	14.08.2013	परिवाद भारतीय स्टेट बैंक सी.पी.पी.सी. पटना से संबंधित है जो बैंकिंग लोकापाल मुम्बई को प्रेषित करते हुए वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

शिकायत अगस्त 2013

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं 374/2013	अवैद्य खनन में संलिप्त ट्रक सं. JH08B 2293 के दुर्घटना के उपरान्त मृत व घायल मजदूरों एवं अन्य मुआवजा तथा चिकित्सा के संबंध में श्री सागर वर्मा एवं एजाज मल्लिक संयोजक सामाजिक विचार मंच, लोहरदगा का शिकायत ।	30.08.2013	परिवाद किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होकर किसी निजी कम्पनी हिंडालको के विरुद्ध है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 402/13	प्रभारी लोक अभियोजक, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम द्वारा स्थानान्तरण के बाद लोक-अभियोजकों से घूस लेकर प्रभार सौंपने/योगदान देने के संबंध में श्रीमती नूर बानो, मानगो, जमशेदपुर का शिकायत ।	27.08.2013	यह शिकायत बिना किसी साक्ष्य के तथा सामान्य प्रकृति के है अतः इस पर किसी प्रकार की कर्वाई की आवश्यकता नहीं है ।
3.	शिकायत सं 379/2013	श्री अशोक कुमार ठाकुर (Const. SMB No 894492127) CISF, मानसिक रोगी को CISF के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने के संबंध में सुश्री नंदिनी प्रिया सुपुत्री अशोक कुमार ठाकुर का शिकायत ।	16.08.2013	शिकायत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पदाधिकारियों के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते हैं । अतः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 244/13	श्री शंकर प्रसाद साह, डंगालपाड़ा, अड़गड़ा रोड दुमका का चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के संबंध में शिकायत ।	16.08.2013	परिवादी द्वारा पूर्व में भी इसी वाद से संबंधित शिकायत इस कार्यालय में दाखिल किया गया था जो संचिकास्त हो गया है अतः उसी वाद पर पुनः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 769/12	साहेबगंज जिला अन्तर्गत पत्थर खदानों में कार्यरत कामगारों के शोषण के संबंध में श्री	23.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के

		जनार्दन प्रसाद गुप्ता महासचिव, पत्थर खदान मजदूर संघ साहेबगंज का शिकायत ।		कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 370/13	झूठा आरोप पर बिना सूचना दिये 20 दिन का वेतन कटौती करने के संबंध में राम चरित्र सिंह कक्षपाल का शिकायत ।	05.08.2013	यह शिकायत सेवा शर्त से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 789/12	श्रीमती पूजा सिंघल पुरवार, उपायुक्त पलामू के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने एवं अपराधियों/उग्रवादियों से पैसे लेकर शस्त्र निर्गत करने के संबंध में ।	01.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 390/13	बोकारो पुलिस द्वारा बार बार प्रताड़ित करने के संबंध में रविन्द्र कुमार सिंह बोकारो का शिकायत ।	16.08.2013	पुलिस द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कर केस की जांच संचालित की जा रही है यदि फिर भी परिवादी कारवाई से सहमत नहीं है तो उन्हे अन्य अनुतोष लाभ प्राप्त है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 364/13	गिरीडिह दुर्गा मंडप अरधा घाट रोड पर अतिक्रमण करने, गंदगी फैलाने, एवं आतंक का माहौल पैदा करने के संबंध में श्री श्यामद देव प्रसाद का शिकायत ।	06.08.2013	शिकायत प्राईवेट पार्टी के विरुद्ध किया गया है जो झणखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 373/13	बगोदर थाना काण्ड सं. 13/13 में बगोदर पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने के संबंध में श्री तुलसी ठाकुर तथा शैलेन्द्र ठाकुर गिरिडीह का शिकायत ।	06.08.2013	शिकायत में पूर्व में सक्षम प्राधिकार द्वारा सेक्शन 144 एवं 107 में आदेश पारित किया जा चुका है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 376/13	थाना प्रभारी सारठ द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करने के संबंध में मोसमात बसंती देव्या का शिकायत ।	08.08.2013	परिवादीनी द्वारा पूर्व में इसी विषय से संबंधित परिवाद सं. 02/लोक(पुलिस) 16/2012 दायर किया गया था जो जांच प्रतिवेदन तथा परिवादीनी के मंतव्य के अधार पर बंद कर दिया गया था। पुनः इसी विषय पर दुसरा शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
12.	शिकायत सं. 792/12	शोभारानी सिन्हा सेवा निवृत्त सहायक शिक्षिका	22.08.2013	परिवादीनी से यह पृछा की गई कि क्या उन्होने इस

		राजकीय वी.एम.सी. उर्दू मध्य विद्यालय सितियों राँची-2 को ग्रेड पे 5400 की स्वीकृति दिलवाए जाने के संबंध में ।		संबंध में संबंधित विभाग को याचना दिया या नहीं परन्तु पर्याप्त पत्राचार के भी उनका मंतव्य नहीं मिलने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 268 / 13	माण्डर प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी श्री प्रमोद प्रसाद पर फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार करने का श्री विजय राम पाठक, अधिवक्ता का शिकायत ।	27.08.2013	शिकायत कर्ता द्वारा शिकायत वापसी के लिखित याचना को स्वीकारते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 719 / 12	कुमार अरविन्द, आलेख अधीक्षक, मुख्य अभियंता का कार्यालय इचागालुडीह जमशेदपुर के विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह जमशेदपुर का शिकायत ।	01.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 380 / 13	प्रभारी थाना प्रभारी मोहन पुर देवघर द्वारा शिकायत लेने से माना करने एवं कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री दिनेश लाल देवघर का शिकायत ।	30.08.2013	संबंधित शिकायत में परिवादी को अन्य अनतोष का लाभ प्राप्त है अतः उन्हें इसका लाभ लेना चाहिए । उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 340 / 13	श्री महावीर रविदास द्वारा फर्जी मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत सेवक के पद पर नियुक्ति होने के संबंध में श्री दामोदर रविदास, जमुआ, गिरिडीह का शिकायत ।	06.08.2013	शिकायत निम्न मानसिकता से ग्रसित होकर किया गया है जो सुनवाई के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 818 / 12	दबंगों के कब्जे से कमरे को मुक्त कराने एवं थाना स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री धीरज कुमार सोनकर, जमशेदपुर का शिकायत ।	22.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 381 / 13	मनरेगा योजनान्तर्गत कूप निर्माण पूर्ण करने के बावजूद भी भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री किशोर यादव, देवघर का शिकायत ।	27.08.2013	शिकायत को मनरेगा लोकपाल हजारीबाग जो देवघर के प्रभार में है को प्रेषित करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को संचिकास्त कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 388 / 13	मनरेगा योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में हो रही ठेकेदारी प्रथा को रोकने के संबंध में	27.08.2013	शिकायत को मनरेगा लोकपाल धनबाद जो गिरिडीह के प्रभार में है को प्रेषित करते हुए माननीय

		विजय सिंह, गिरीडिह का शिकायत ।		लोकायुक्त द्वारा शिकायत को संचिकास्त कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं 805 / 12	देवघर जिले के सारवाँ प्रखण्ड के भंडारो में मनरेगा योजनान्तर्गत तालाब निर्माण योजना में राशि गबन करने के संबंध में मो0 सिराजुद्दिन अंसारी, देवघर का शिकायत ।	20.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 857 / 12	पलामू जिला अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र राधाडीह उरा टोला में आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता के संबंध में श्रीमती कमलनिया देवी व अन्य ग्रामीण जनता का शिकायत ।	20.08.2013	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण पर्याप्त पत्राचार के बाद भी नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पत्र को खारिज कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं.377 / 13	देवघर जिले के मधुपुर प्रखण्ड में योजना सं. 110-09-10मिट्टी मोरम कार्य में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह , रोजगार सेवक एवं संवेदक की मिली भगत से सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में श्री बबलू पंडित देवघर का शिकायत ।	27.08.2013	शिकायत को मनरेगा लोकपाल हजारीबाग जो देवघर के प्रभार में है को प्रेषित करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को संचिकास्त कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं. 361 / 13	श्री सुशील कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार पर भयादोहन एवं रिश्वत मांगने के आरोप से संबंधित श्री कृष्णा प्रसाद साह प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, पोचरा, लातेहार का शिकायत ।	05.08.2013	शिकायत एक लोक सेवक द्वारा दुसरे लोकसेवक के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं. 355, 356 एवं 357 / 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. फूलो देवी , सेवानिवृत्त रात्री प्रहरी, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बानो सिमडेगा का वेतन तथा द्वितीय ए.सी.पी. बकाया रहने के संबंध में शिकायत । 2. लक्षमण सिंह सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बानो सिमडेगा का वेतन तथा द्वितीय ए.सी.पी. बकाया रहने के संबंध में शिकायत । 3. रोजलीन कोंगाड़ी, सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बानो 	03.08.2013	शिकायतकर्ताओं ने पुर्व में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद से संबंधित रिट किया था जिसमें में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किय जा चुका है। यदि शिकायतकर्ताओं को लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अहवेलना हो रही है तो पुनः माननीय उच्च न्यायालय में वाद के निराकरण के लिए जा सकते हैं। इस आशय के साथ शिकायत को बंद कर दिया गया ।

		सिमडेगा का वेतन तथा द्वितीय ए.सी.पी. एवं अन्य सेवान्त लाभ बकाया रहने के संबंध में शिकायत ।		
25.	शिकायत सं.352/13	झारखण्ड शिक्षा परियोजना के अधीन कार्यरत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कर मासिक परिलब्धि में 25% के बजाए भेदभावपूर्ण ढंग से मात्र 6% बढ़ोत्तरी करने के संबंध में आशीष कुमार चास, बोकारो का शिकायत ।	01.08.2013	शिकायत लोक सेवक के वेतन विसंगति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।